प्रपत्र 4
(देखे विनियम 6)
राज्य सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र

संख्या–3331/96–आयुष–1–2020–124/2020
उत्तर प्रदेश शासन
आयुष अनुभाग–1
भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग/आयुष

दिनांक 29 सितम्बर, 2020

सेवा में,

प्रबन्धक,
मां विंध्यवासिनी सुमित्रा देवी एजुकेशनल ट्रस्ट,
ग्राम खरैला, सराय पल्टू, आजमगढ़।

विषयः एस0के0 मिश्रा अनीता आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ताजपुर गड़हा, पो0 सरायपल्टू, लालगंज, आजमगढ़ में बी0ए0एम0एस0 पाठ्यकम संचालित किये जाने हेतु 60 सीट पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भः अपर मुख्य सचिव, आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यकम एवं मूल्यांकन), उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र कमशः दिनांक 28.09.2020।

महोदय,

निम्न तथ्यों के संबंध में वांछित "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा रहा हैः–

1	राज्य में विद्यमान चिकित्सा और आयुर्वेद संस्थानों की संख्या	08 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज तथा निजी क्षेत्र में 59 आयुर्वेदिक कालेज
2	उपलब्ध सीटों की संख्या अथवा प्रतिवर्ष उत्पन्न चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की संख्या	400 राजकीय एवं 4880 निजी क्षेत्र (स्नातक स्तर)
3	राज्य परिषद/भारतीय चिकित्सा पद्धति बोर्ड में पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की संख्या	39,260
4	राज्य सरकार में सेवारत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की संख्या	3896 संविदा लगभग 1000
5	राज्य, विशेष रूप से ग्रामीण/कठिन क्षेत्रों में आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त सरकारी पदों की संख्या	चिकित्साधिकारी(आयुर्वेद) 250 चिकित्साधिकारी(सामु0स्वा0) 962
6	राज्य रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सकों की संख्या	सामान्यतः राज्य के रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सक रोजगार कार्यालय में पंजीकरण नहीं कराते हैं।
7	राज्य में आयुर्वेद चिकित्सकों एवं जनसंख्या का अनुपात	1 : 5858
8	चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना/प्रवेश क्षमता में वृद्धि/पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर राज्य में योग्यता प्राप्त चिकित्सकों की जन शक्ति की कमी की समस्या किस प्रकार से हल होगी तथा राज्य में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में किस प्रकार से सुधार आएगा।	आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना/ स्नातक (बी0ए0एम0एस0) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का उद्देश्य योग्य चिकित्सक बनाना है तथा प्रशिक्षणोपरान्त व्याधियों (रोगों) को दूर कर मानव ज्ञान शक्ति को सुदृढ़ करना है।
9	छात्र, जो राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, पर राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रवेश पाने की प्रतिबद्धता अधिरोपित, यदि कोई है, का उल्लेख करें।	राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में स्नातक स्तर पर प्रवेश शासन के निर्देशानुसार होता है।
10	प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय खोलने/प्रवेश क्षमता बढ़ाने/नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए पूर्ण औचित्य।	योग्य चिकित्सक/चिकित्सा शिक्षक तैयार करना।

11	प्राप्य आयुर्वेद चिकित्सक जनसंख्या अनुपात	निर्धारित नहीं।

प्रबन्धक, मां विंध्यवासिनी सुमित्रा देवी एजुकेशनल ट्रस्ट, ग्राम खरैला, सराय पल्टू, आजमगढ़ द्वारा एस0के0 मिश्रा अनीता आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ताजपुर गड़हा, पो0 सरायपल्टू, लालगंज, आजमगढ में आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रबन्धक, मां विंध्यवासिनी सुमित्रा देवी एजुकेशनल ट्रस्ट, ग्राम खरैला, सराय पल्टू, आजमगढ़ को 60 सीटों के साथ आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने के लिए पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है, जिसकी वैधता निर्गमन तिथि से 03 वर्ष तक होगी।

यह प्रमाणित किया जाता है कि

(क) आवेदक के पास 100 शैय्याओं वाला अस्पताल है।

(ख) आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना 60 सीटों पर बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना जनहित में वांछनीय है।

(ग) प्रबन्धक, मां विंध्यवासिनी सुमित्रा देवी एजुकेशनल ट्रस्ट, ग्राम खरैला, सराय पल्टू, आजमगढ़ द्वारा एस0के0 मिश्रा अनीता आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज ताजपुर गड़हा, पो0 सरायपल्टू, लालगंज, आजमगढ उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना/60 सीटों पर बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना उचित है एवं उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रपत्र–4 पर) इस शर्त के साथ प्रदान कर दिया जाये कि उक्त संस्था सी0सी0आई0एम0 के मानकानुसार समस्त संसाधनों एवं भूमि की कमी सी0सी0आई0एम0 के निरीक्षण के पूर्व पूर्ति कर लें।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित महाविद्यालय में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मापदण्डों के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री है। आगे प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रार्थी आयुर्वेद महाविद्यालय के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के मापदण्डों के अनुसार अवसंरचना उपलब्ध कराने में असमर्थ रहते है और केन्द्र सरकार द्वारा आगे प्रवेश रोक दिया जाता है तो राज्य सरकार केन्द्र सरकार की अनुमति से महाविद्यालय में पहले से प्रविष्ट छात्रों की पूरी जिम्मेदारी लेगी।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–सचिव, सी0सी0आई0एम0, 61–65, भारतीय चिकित्सा पद्धति भवन, डी0–ब्लाक के सामने जनकपुरी, नई दिल्ली।
2–सचिव, आयुष मंत्रालय, बी0–ब्लाक, आयुष भवन, भारत सरकार, जी0पी0ओ0 काम्प्लेक्स, आई0एन0ए0 नई दिल्ली।
3–महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4–कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
5–निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
6–निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन), उ0प्र0 लखनऊ।
7–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद यादव)
अनु सचिव।